भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.4066
मंगलवार, 17 मार्च, 2026/26 फाल्गुन, 1947 (शक) को उत्तरार्थ

प्राथमिक कृषि ऋण समिति कम्प्यूटरीकरण परियोजना का कार्यान्वयन

†4066. **डॉ. शशि थरूरः**

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने 67,930 'पैक्स' की स्वीकृति और राज्यों और नाबार्ड को 865.81 करोड़ रुपये जारी किए जाने सहित रुपये 2,516 करोड़ के कुल परिव्यय और 31 मार्च, 2027 की अंतिम तिथि के साथ कार्यशील प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) के कम्प्यूटरीकरण के लिए परियोजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस के साथ दोतरफा "पुल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस "(एपीआई) को अधूरे तरीके से अपनाए जाने और एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) प्रणाली के बाहर निरंतर हस्तचालित लेन-देन के कारण आंकड़ों में कमियाँ हो रही है और उनकी निगरानी में दोष आ रहा है और यदि हां, तो सरकार इसे किस प्रकार न्यायसंगत ठहराएगी; और

(ग) क्या सरकार ने केरल जैसे राज्यों द्वारा व्यक्त की गई इस चिंता की जांच की है कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियां लगभग 65:35 के कम ऋण-प्रति-जमा अनुपात के साथ कार्य कर रही हैं जिसके परिणामस्वरूप निष्क्रिय निधि जमा हो रही है और उपलब्ध ऋण क्षमता का कम उपयोग हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) जी हां, मान्यवर। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) के कम्प्यूटरीकरण परियोजना की प्रगति की प्रभावी समीक्षा के लिए एक संरचित निगरानी फ्रेमवर्क स्थापित किया गया है, जिसमें राष्ट्र-स्तरीय निगरानी और कार्यान्वयन समिति (एनएलएमआईसी), राज्य और जिला स्तरीय कार्यान्वयन और निगरानी समितियां (एसएलआईएमसी और डीएलआईएमसी), राज्य सहकारी विकास समिति (एससीडीसी) (मुख्य सचिव के अधीन) और जिला सहकारी विकास समिति (डीसीडीसी) (जिला कलेक्टर के अधीन) शामिल हैं । ये निकाय पैक्स कंप्यूटरीकरण सहित सहकारी क्षेत्र की सभी पहलों का प्रभावी कार्यान्वयन, निरीक्षण और समन्वय सुनिश्चित करते हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्नक 'अ' पर है।

इसके अतिरिक्त, सचिव (सहकारिता) की अध्यक्षता में सहकारिता मंत्रालय में चल रही परियोजनाओं/योजनाओं की गहन समीक्षा के लिए राज्य समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

इसके अलावा, सहकारिता मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी सहकारिता मंत्रालय की कई पहलों की समीक्षा करने के लिए भाग लेने वाले राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों का नियमित दौरा करते हैं, जिसमें पैक्स कम्प्यूटरीकरण परियोजना की समीक्षा शामिल है।

(ख) राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस (NCD) का विकास सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के सहयोग से किया गया है। सहकारी समितियों से संबंधित डेटा का संग्रह, प्रविष्टि तथा अद्यतन कार्य इस उद्देश्य हेतु राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस (NCD) में किया जाता है।इसके अतिरिक्त, स्वचालित डेटा अद्यतन, समन्वयन तथा प्रभावी सूचना प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए NCD पोर्टल को सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारी समितियों के निबंधकों (RCS) के पोर्टलों के साथ एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (APIs) के माध्यम से एकीकृत किया जा रहा है। दिनांक 01.03.2026 तक राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार और मिजोरम राज्यों तथा दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश ने NCD पोर्टल के साथ एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है।

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों नियमित रूप से पैक्स की समीक्षा करते हैं और उन्हें ईपैक्स सॉफ्टवेयर पर जाने और ईपैक्स सॉफ्टवेयर पर अपना काम पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। दिनांक 10.03.2026 तक 44,794 पैक्स ईपैक्स के रूप में काम कर रहे हैं। पिछले 6 महीनों में ईपैक्स की संख्या में नियमित रूप से वृद्धि हो रही है। ऐसे पैक्स में, संबंधित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के आदेशों के अनुसार, ईआरपी प्रणाली द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से लेनदेन दर्ज किए जाते हैं। ऐसे आदेशों को लागू करना मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

(ग) नाबार्ड को केरल राज्य सरकार से केरल में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के ऋण-जमा (सीडी) अनुपात के संबंध में कोई चिंता प्राप्त नहीं हुई है। पैक्स को संबंधित राज्य कानूनों और नियमों के तहत विनियमित किया जाता है। केरल सरकार के रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज (RCS) द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, केरल में पैक्स का कुल जमा आधार ₹1.31 लाख करोड़ था और 31.03.2024 तक ऋण बकाया ₹1.03 लाख करोड़ था, जो 78.6% के सीडी अनुपात को दर्शाता है। यह अनुपात केरल के सभी बैंकों के औसत सीडी अनुपात से अधिक है, जो उसी तारीख को 73% था।

संलग्नक -'अ '

पैक्स कम्प्यूटरीकरण परियोजना की स्थिति 10 मार्च 2026 तक

क्रम संख्या	राज्य	स्वीकृत पैक्स	ईआरपी ऑनबोर्ड	ई-पैक्स की उपलब्धियां	भारत सरकार द्वारा जारी कुल फंड (INR करोड़)
1.	अंडमान व निकोबार	46	46	0	0.69
2.	आंध्र प्रदेश	2,037	2,021	2,017	37.41
3.	अरुणाचल प्रदेश	139	14	14	1.22
4.	असम	850	580	535	17.02
5.	बिहार	4,495	4,481	4,465	51.76
6.	छत्तीसगढ़	2,028	2,028	1,773	28.35
7.	डीएनएच और डीडी	9	4	4	0.12
8.	गोवा	86	53	35	1.19
9.	गुजरात	6,216	5,750	5,356	93.97
10.	हरियाणा	710	695	632	8.79
11.	हिमाचल प्रदेश	1,885	1,472	997	28.25
12.	जम्मू और कश्मीर	708	537	537	10.37
13.	झारखंड	2,797	1,493	1,358	34.30
14.	कर्नाटक	5,894	4,555	3,224	67.83
15.	लद्दाख	10	10	10	0.16
16.	मध्य प्रदेश	5,455	4,536	4,507	66.43
17.	महाराष्ट्र	12,178	12,036	11,355	130.73
18.	मणिपुर	308	205	79	3.14
19.	मेघालय	330	23	18	2.34
20.	मिजोरम	99	25	24	1.27
21.	नागालैंड	231	114	12	4.43
22.	ओडिशा	4,240	0	0	18.07
23.	पुडुचेरी	45	44	31	0.67
24.	पंजाब	3,482	2,682	1,305	32.94
25.	राजस्थान	8,525	6,445	3,702	84.83
26.	सिक्किम	131	107	107	3.28
27.	तमिलनाडु	4,561	4,513	0	51.73
28.	त्रिपुरा	475	268	264	8.21
29.	उत्तर प्रदेश	6,257	3,076	1,273	67.10
30.	उत्तराखंड	1,216	669	590	5.69
31.	पश्चिम बंगाल	4,187	3,384	570	45.79
	कुल	**79,630**	**61,866**	**44,794**	**908.10**
	नाबार्ड	**-**	**-**	**-**	**165.92**
	कुल	**-**	**-**	**-**	**1074.02**